कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
इलाहाबाद

पत्रांकः– /से0प्र0/इला0/स्टाफ–कार/2017 दिनांकः–

किराया/अनुबन्ध आधार पर स्टाफ कार लगाने जाने हेतु कोटेशन आमन्त्रण सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम इलाहाबाद क्षेत्र के सेवा प्रबन्धक को उनके विभागीय कार्यो के उपयोगार्थ किराये के आधार पर नई 7 (सात) सीटर उच्च मेक एवं माडल की वाहन लगाया जाना है। इच्छुक फर्मे वाहन लगाने हेतु **अपना कोटेशन बन्द लिफाफे में दिनॉक 20.04.2017 को समय 14.00 बजे तक इस कार्यालय को प्रेषित कर सकते है।**

अनुबन्धन के आधार पर उपरोक्त वाहन लगाने की शर्ते/दरों के सम्बन्ध में निम्नवत् कोटेशन दिया जाना हैः–

1. वाहन टैक्सी परमिट से आच्छादित तथा पूर्ण रूप से बीमित होना अनिवार्य है। अन्यथा प्राप्त कोटेशन पर विचार नही किया जायेगा।
2. प्रत्येक माह में केवल 1500 कि0मी0 संचालित होने पर (डीजल, चालक, वाहन मरम्मत एवं अन्य देय शुल्क/खर्च आपको स्वयं वहन करना होगा) कितना भुगतान मासिक लिया जायेगा।
3. उच्च मेक व माडल को प्राथमिक्ता दी जायेगी।
4. परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत कोटेशन (न्यूनतम दर) में अंकित धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई भी भुगतान देय नही होगा। बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में अंकित देय धनराशि में ही ईधन, चालक, नाईट हाल्ट, प्रतिक्षा भाडा, मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेश, परमिट, सर्विस टैक्स एवं अन्य सभी टैक्स साम्मलित होगे।

रिमार्कः– वाहन प्रत्येक समय (24 घन्टे) उपलब्ध होगी, यदि वाहन मरम्मत में जाती है तो उसके स्थान पर उसी के समतुल्य दूसरी वाहन उपलब्ध कराई जायेगी। भुगतान बिल प्रेषित किये जाने पर परिवहन निगम मुख्यालय से धनराशि प्राप्त होने पर किया जायेगा। कोटेशन स्वीकृत होने पर ₹ 100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। कोटेशन के साथ वाहन की आरसी बुक, बीमा एवं फिटनेस प्रमाण पत्र एवं परमिट की प्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा कोटेशन वैध नही होगा।

(आर0एन0वर्मा)
सेवा प्रबन्धक

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय प्रबन्धक/समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक इलाहाबाद क्षेत्र को इस आश्य से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने कार्यालय/अधीनस्थ बस स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

सेवा प्रबन्धक

Arun-2012.doc

Downloaded from www.upsrtc.com